2-0|6|00061

मिसल नं0 03/2016 सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम गंगाराम पुत्र गोरू लाल मेघवाल निवासी नोताडा तहसील दीगोद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-11-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970) के नियम 14 (4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 17 व 22 के अन्तर्गत आवंटन खारिज करने हेतु प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि ग्राम नोताडा तहसील दीगोद की भूमि खसरा नं0 185 रकबा 0.69 हैक्टर श्री गंगाराम आत्मज गोरूलाल जाति मेघवाल निवासी नोताडा तहसील दीगोद को आवंटन शिविर दिनांक 19.06.89 को आवंटित हुई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लघंन किये जाने से आवंटन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया है । प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । तामील कुनन्दा की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है। इस न्यायालय के पत्र क्रमांक /रीडर/एडीएम/2016/2470 दिनांक 13.10.2016, 179 दि0 19.01.2017, 795 दि0 13.4.2017, अ0 शा0 पत्र क्रमांक/2017/1572 दिनांक 30.8.2017, 2240 दि0 6.12..2017, 211 दि0 28.02.2018,447 दि0 16.05.2018,12 दि0 4.01:2019,691 दि0 23.07..2019, 752 दि0 5.8.2019 से लिखे जाने पर भी मृतक के कायम मुकामान की सूची प्राप्त नहीं हुई है। जिससे अप्रार्थी के कायम मुकामान की तलबी किया जाना संभव नहीं है। अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार दीगोद अप्रार्थी के वारिसान की जांच कर वारिसान के नाम व सही पते अंकित करते हुए पुनःनये सिरे से उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार दीगोद को लौटाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा	